भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय
Integrated Regional Office
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लौंगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश–171001
Shimla, Himachal Pradesh – 171001

ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.i
दूरभाष/Tel.: 0177-2658285
0177-2652541
फैक्स/Fax: 0177-2657517

पत्र सं0. 8बी/एच.पी./09/90/2021/एफ.सी./210 दिनांकः27/08/2021

सेवा में,

नोडल अधिकारी–सह–अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
वन विभाग, टालैण्ड, शिमला।

विषय: **Diversion of 2.9696 ha of forest land in favour of Municipal Corporation Dharamshala for the Construction of Solid Waste Management plant in Up Mohal Dharamshala within the jurisdiction of Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Others/48483/2020)**

सन्दर्भः नोडल अधिकारी–सह–अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के पत्रांक एफ.टी. 48–5102/2020 (एफ.सी.ए.) दिनांक 14.07.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 2.9696 हे0 एरिया वन भूमि की मांग की गई है। प्रस्ताव का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने पर निम्नलिखित कमियां पायी गई है। अतः राज्य सरकार कमियों पर जानकारी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ताकि प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही पर विचार किया जा सके :–

1. प्रस्तावित प्रोजेक्ट में केवल दो Component दर्शाये गए हैं, जबकि प्रोजेक्ट के लिए Electric Segment, Garbage Collection Shed, Chowkidar hut इत्यादि components आवश्यक है। अतः राज्य सरकार सभी Components को layout plan में अंकित करते हुए Part-I, B 2.4, Component breakup column में upload करेगी।
2. प्रस्तावित प्रोजेक्ट के सम्बध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया Technical & Administrative Approval पत्र संलग्न नहीं है। Approval पत्र राज्य सरकार Online portal पर upload करें।
3. राज्य सरकार द्वारा Part 1, Para E (ii), (iii) में दर्ज की गई Employment Generation से संबंधित जानकारी सही प्रतीत नहीं हो रही है। अतः राज्य सरकार Online portal पर सही जानकारी upload करें।
4. क्योंकि प्रस्ताव Non-Site Specific है, अतः FCA की Guideline के Para 1.15 के अनुसार राज्य सरकार Alternate alignment से सम्बंधित पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगी तथा alternative sites को भी KML पर अंकित करेगी तथा ये भी अवगत कराएगी कि क्यों इस प्रस्ताव को वन भूमि के इतर गैर वन भूमि पर प्रस्तावित नहीं किया जा सकता ?
5. Online portal पर देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त project से लाभांवित होने वाले wards में से केवल धर्मशाला सब–डिवीजन (village code 00099) ही को web-portal पर दर्शाया गया है।

जबकि अन्य लाभांवित हो रहे wards क्षेत्रों को Online portal पर नहीं दर्शाया गया है। अतः लाभांवित हो रहे प्रत्येक wards क्षेत्र को KML पर अंकित करते हुए wards क्षेत्र की नाम सूचियां एवं जनसँख्या विवरण से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगी।

6. राज्य सरकार द्वारा Part-II, Para-11 (i) जो violation area से सम्बन्धित है, में 0.75 ha क्षेत्र violated दर्शाया गया है, तथा जिसके सम्बन्ध में प्रस्तुत hard copy के पेज सं. 11 क्रमांक 9 में यह अवगत किया गया है की अमुख क्षेत्र पर 1977 से ही कार्य किया जा रहा है। परन्तु इस बावत कोई भी Valid दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार उक्त संबंध में स्थिति स्पष्ट करे तथा FCA Guideline के para 1.13 एवं 1.21 के सन्दर्भ में आवश्यक टिपण्णी प्रस्तुत करें तथा Online portal पर भी upload करें।
7. प्रस्तावित प्रोजेक्ट के Part II, para 4 (ii) में अंकित Eco Class 5 दर्शाई गयी है, जबकि उक्त Eco Class 6 होनी चाहिए। अतः राज्य सरकार Eco Class की समीक्षा (Review) करते हुए संशोधित NPV प्रस्तुत करेगी।
8. प्रस्ताव के Part-II बिंदु संख्या–14 में जिला काँगड़ा का Geographic Area सही नहीं है। अतः राज्य सरकार जिला काँगड़ा का सही G.A. अंकित करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश नेगी)
क्षेत्रीय अधिकारी